संख्या– 645 /XV-2/01(14)/2018 (डेरी)

प्रेषक,

आर.मीनाक्षी सुन्दरम्,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
डेरी विकास विभाग,
उत्तराखण्ड।

पशुपालन अनुभाग–02

देहरादूनः दिनांक 29 नवम्बर, 2019

विषय– वित्तीय वर्ष 2019–20 में अनुदान संख्या–28 आयोजनागत अन्तर्गत 03–डेरी विकास योजना (सामान्य) में वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या–824–25/नियोजन–प्रस्ताव डे0वि0यो0/2019–20, दिनांक 22, नवम्बर, 2019 के संदर्भ में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–शासनादेश संख्या–254/3(150)-2017/XXVII(1)/ 2018, दिनांक 29 मार्च, 2019 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2019–20 में डेरी विकास विभाग को डेरी विकास योजना (सामान्य) के अन्तर्गत निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निम्नलिखित मानक मदों हेतु कुल प्राविधानित धनराशि रू0 220.00 लाख के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू0 97.848 लाख में से रू0 90.40 लाख (रू0 नब्बे लाख चालीस हजार मात्र) आपके निवर्तन पर रखते हुए इसे आहरण कर व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

(क) यातायात अनुदान–

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0सं0	दुग्ध संघ का नाम	प्रस्तावित धनराशि
1	नई टिहरी	2.68
2	अल्मोडा	6.50
3	पौडी–गढवाल	0.50
4	उत्तरकाशी	2.08
5	चम्पावत	6.72
6	पिथौरागढ	3.92
7.	च्मोली	9.00
8.	छेहरादून	13.00
9.	नैनीताल	13.00
	योग	**57.40**

(ख) प्रबंधकीय अनुदान मद–

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0सं0	दुग्ध संघ का नाम	प्रस्तावित धनराशि
1	नई टिहरी	1.60
2	पौडी–गढवाल	0.40
3	उत्तरकाशी	1.60
4	चम्पावत	2.00
5	पिथौरागढ	1.20
6	चमोली	1.60
7	देहरादून	0.40
8	हरिद्वार	1.20
	योग	**10.00**

(ग) विभागीय कार्मिकों, दुग्ध उत्पादकों का प्रशिक्षण तथा प्रचार–प्रसार एवं सैन्ट्रल डेरी लैब हेतु सहायता–

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0 स0	नाम जनपद /कार्यालय जिसके द्वारा धनराशि व्यय की जायेगी।	प्रस्तावित कार्य	प्रस्तावित धनराशि
	निदेशालय डेरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड नैनीताल (हल्द्वानी)	1. .विभागीय कार्मिकों, दुग्ध उत्पादकों का प्रशिक्षण तथा प्रचार–प्रसार	06.00
		2. सैन्ट्रल डेरी लैब हेतु सहायता	17.00
योग			**23.00**

1. अवमुक्त की जा रही धनराशि की फॉट निदेशक, डेरी द्वारा करने के उपरान्त सम्बन्धित जिला स्तर के अधिकारियों, दुग्ध संघों एवं शासन को अवगत कराया जायेगा।
2. इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत रूप से व्यय न किया जाय, साथ ही इस धनराशि का एक मुश्त आहरण न कर आवश्यकतानुसार आहरण किया जाय।
3. सभी कार्यों का जनपदवार वार्षिक/मासिक लक्ष्यों का निर्धारण भी आपके द्वारा तत्काल कर दिया जाय तथा फील्ड स्तर पर भी निर्धारित किये गये लक्ष्यों की सूचना उपलब्ध करा दी जाय।
4. उक्त धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त पुस्तिका में उल्लिखित प्रावधानों एवं शासन के वर्तमान मितव्ययता संबंधी आदेशों के अन्तर्गत ही किया जाय।
5. स्वीकृत धनराशि का उपयोग निश्चित रूप से उन्हीं मदों पर किया जाय जिसके लिए धनराशि प्रदान की जा रही है। यदि इसका उपयोग अन्यत्र अथवा किसी अन्य मद से किया जाता है तो सम्बन्धित अधिकारी इसके लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे तथा अप्राधिकृत व्यय की वसूली की जायेगी।
6. बजट मैनुअल में निर्धारित प्रकिया के अन्तर्गत कोषागार द्वारा प्रमाणित बाउचर संख्या एवं दिनांक प्रतिमाह की 5 तारीख तक प्रपत्र बी0एम0–08 पर विभागाध्यक्ष द्वारा सूचना शासन को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जायेगी।
7. कोषागार में बीजक प्रस्तुत करते समय अनुदान संख्या एवं लेखाशीर्षक का सही रूप से अंकन करना सुनिश्चित करेंगे।
8. किसी भी शासकीय व्यय हेतु प्रोक्यौरमेन्ट रूल्स 2008, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–01, (वित्तीय अधिकार प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–05 भाग–01 (लेखा नियम), आय–व्ययक संबंधी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय साथ ही मितव्ययता संबंधी आदेशों, डी.जी.एस.एन.डी की दरें, टेण्डर/कोटेशन विषयक नियमों के संबंध में शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के दिशा–निर्देशों का भी पूर्णतः अनुपालन किया जाय।
9. धनराशि व्यय किये जाने से पूर्व जहाँ कहीं आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाए।
10. अवमुक्त की जा रही धनराशि हेतु वित्त अनुभाग–1 उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–610/3(150)XXVII(1)/2017 दिनांक 30 जून 2017 का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए उपयोगिता प्रमाणक, भौतिक एवं वित्तीय प्रगति एवं लाभार्थियों की सूची सहित शासन एवं समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ उपलब्ध करायी जाय।
11. विभिन्न मदों में व्ययभार/देयता सृजित होने पर यथाशीघ्र धनराशि आहरित कर भुगतान की जायेगी एवं कोई भी भुगतान अनावश्यक लम्बित नहीं रखा जायेगा।

12. विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि इस मद में उपलब्ध करायी जा रही धनराशि अनुसूचित जाति के सदस्य संख्या के प्रतिशत के अन्तर्गत ही हो।

2– उक्त धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019–20 में अनुदान संख्या–28 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–2404–डेरी विकास–00–आयोजनागत–102–डेरी विकास परियोजनाएं–03–डेरी विकास योजना–00–20–सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता के नामे डाला जायेगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या– 254/3(150)-2017/XXVII(1)/ 2018, दिनांक 29 मार्च, 2019 के क्रम में निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(आर0 मीनाक्षी सुन्दरम्)
सचिव।

संख्या– 645 (1)/XV-2/2019 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार कार्यालय, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून, उत्तराखण्ड।
2. मण्डलायुक्त, कुमाऊँ/गढ़वाल, उत्तराखण्ड।
3. कोषाधिकारी, हल्द्वानी (नैनीताल) उत्तराखण्ड।
4. वित्त अनुभाग–4,/नियोजन विभाग/समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
5. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
6. संयुक्त निदेशक, डेरी विकास विभाग, सम्पर्क/संयुक्त निदेशक, कार्यालय, देहरादून।
7. निदेशक, बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. गार्ड पत्रावली।

आज्ञा से,

(वी0एस0 पुन्डीर)
उप सचिव।

IFMS
Uttarakhand

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - (2019 - 2020)

Secretary-Secretary, Dairy Development(S007)

HOD-Director Dairy Developmment(2353)

आवंटन पत्र संख्या -645/XV-2/01(14)/2018(Dairy)
अनुदान संख्या-028

आवंटन आई डी-S19120280004
आवंटन पत्र दिनांक-06-DEC-2019

लेखा शीर्षक	2404-डेरी विकास 102-डेरी विकास परियोजनाएं 00-डेरी विकास की योजना	00-- 03-डेरी विकास की योजना

Voted

2	4	0	4	0	0	1	0	2	0	3	0	0

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
20-सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	12215200	9040000	0	21255200
योग	12215200	9040000	0	21255200

Total Current Allotment To HOD In Above Schemes-Rs.90,40,000 (Rupees Ninety Lacs Forty Thousand Only)

Approval Status : APPROVED BY OFFICER

10·12·2019

(वी0एस0 पुन्डीर)
उप सचिव
पशुपालन,डेरी,मत्स्य एवं भाषा विभाग
उत्तराखण्ड शासन।